प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 01.09.2025

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी।

थाना गोला पुलिस द्वारा, एक नफर वांछित अभियुक्त अमन कुमार पुत्र स्व0 सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना गोला के नेतृत्व में आज दिनांक- 01.09.2025 को थाना गोला पुलिस द्वारा, थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 507/2025 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त अमन कुमार पुत्र स्व0 सुरेश कुमार निवासी ग्राम अन्नापुर थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.अमन कुमार पुत्र स्व0 सुरेश कुमार निवासी ग्राम अन्नापुर थाना मैलानी जिला खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 विजेन्द्र कुमार पासवान थाना गोला जनपद खीरी
2.का0 रूपेश गंगवार थाना गोला जनपद खीरी

थाना फरधान पुलिस द्वारा, एक नफर वांछित अभियुक्त इमताज अली पुत्र स्व0 अली रजा को गिरफ्तार किया गया

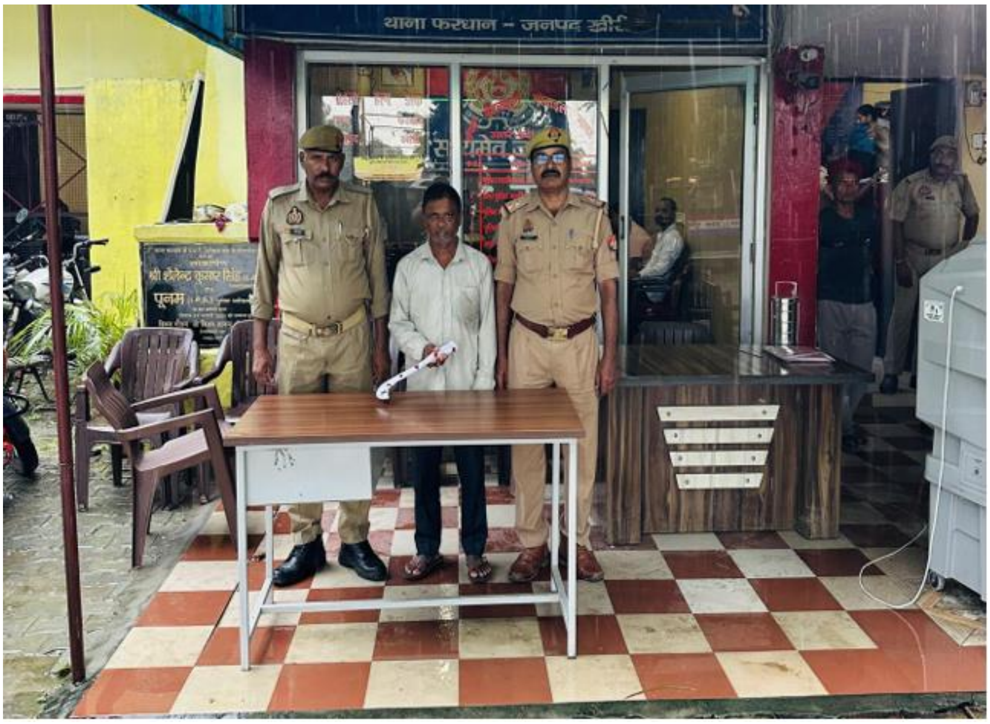

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना फरधान के नेतृत्व में आज दिनांक- 01.09.2025 को थाना फरधान पुलिस द्वारा, थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 337/2025 धारा 109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त इमताज अली पुत्र स्व0 अली रजा निवासी ग्राम खजुहा थाना फरधान जनपद खीरी को घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे की हंसिया के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

इमताज अली पुत्र स्व अली रजा निवासी ग्राम खजुहा थाना फरधान जनपद खीरी

<u>बरामदगी का विवरण</u>

घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे की हंसिया

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 देवेन्द्र राम थाना फरधान जनपद खीरी
2.हे0का0 अशोक कुमार थाना फरधान जनपद खीरी
3.का0 विकास मौर्य थाना फरधान जनपद खीरी

थाना मझगई पुलिस द्वारा, एक नफर वांछित अभियुक्त निखिल पुत्र भागीरथ को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी पलिया के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना मझई के नेतृत्व में आज दिनांक- 01.09.2025 को थाना मझगई पुलिस द्वारा, थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 198/2025 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त निखिल पुत्र भागीरथ निवासी ग्राम दुबहा थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

निखिल पुत्र भागीरथ निवासी ग्राम दुबहा थाना निघासन जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 जगदीश प्रसाद थाना मझगई जनपद खीरी

2.का0 रोबिन सिंह थाना मझगई जनपद खीरी

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, 01 नफर वारण्टी अभियुक्त सबूरी पुत्र स्व0 नन्हे को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी धौरहरा के कुशल मार्गदर्शन में एवं थानाध्यक्ष ईसानगर के नेतृत्व में आज दिनांक- 01.09.2025 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, मु0सं0 1991/17 अ0सं0 6331/12 धारा 323/324/504/506 भादवि में वारण्टी अभियुक्त सबूरी पुत्र स्व0 नन्हे निवासी रूद्रपुर थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

<u>गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-</u>

सबूरी पुत्र स्व0 नन्हे निवासी रूद्रपुर थाना ईसानगर जनपद खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 सप्ताह दत्त त्रिपाठी थाना ईसानगर जनपद खीरी
2.का0 मुरली मनोहर थाना ईसानगर जनपद खीरी

थाना पलिया पुलिस द्वारा, हत्या के अभियोग में वांछित 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी पलिया के कुशल मार्गदर्शन में एवं थानाध्यक्ष पलिया के नेतृत्व में आज दिनांक- 01.09.2025 को थाना पलिया पुलिस द्वारा, थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 363/2025 धारा 3(5)/191(2)/238(ख)/103(1)/352/351(3) बीएनएस व 3(1)द,ध/3(2)(va)/3(2)(v) SC/ST Act में वांछित 04 नफर अभियुक्तों 1.दीपेन्द्र कुमार उर्फ गोलू 2.रामखेलावन पुत्र स्व0 कंठू लाल 3.सोनू उर्फ सोनेलाल पुत्र रामखेलावन 4.अंजली पुत्री रामखेलावन निवासीगण ग्राम फरसहिया थाना पलिया जिला खीरी को घटना में प्रयुक्त एक अदद ईंट के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

थाना पलिया पर दिनांक 27.08.02025 को ग्राम नगला, मेलाघाट रोड पर गन्ने के खेत में एक अज्ञात शव (पुरुष) मिलने की सूचना प्राप्त हुई जिसकी शिनाख्त हेतु व्यापक प्रचार प्रसार के उपरांत अज्ञात शव की शिनाख्त मृतक करन भार्गव पुत्र स्व0 दौलतराम पासी उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम फरसहिया थाना पलिया जनपद खीरी के रूप में हुई । जिसमें मृतक की माँ श्रीमती सोमवती द्वारा दी गई तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 30.08.2025 थाना पलिया पर मु0अ0स0 363/25 धारा 3(5)/ 191(2)/238(ख)/103(1)/352/351(3) बीएनएस व 3(1)द,3(1)ध,3(2)(va),3(2)(v) SC/ST Act पंजीकृत किया गया। मुकदमें में नामित अभियुक्तगण उपरोक्त को पलिया पुलिस द्वारा आज दिनांक 01.09.2025 को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की गई, गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणो ने दौराने पूछताछ बताया कि मृतक करन भार्गव का मेरी बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था,

कई बार मृतक करन उपरोक्त को समझाने पर भी वह नही मान रहा था । तब हम लोगो ने दिनांक 27.08.2025 को अपनी बहन से मृतक करन को फोन कराकर उसे पलिया बुलाया । उसके उपरांत हम सभी लोगो ने मिलकर उसकी हत्या करने के उपरांत उसके शव को गन्ने के खेत में ले जाकर फेंक दिया था । मुकदमें में गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों के अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-</u>

1.दीपेन्द्र कुमार उर्फ गोलू निवासी ग्राम फरसहिया थाना पलिया खीरी ।
2.रामखेलावन पुत्र स्व0 कंठू लाल निवासी ग्राम फरसहिया थाना पलिया जिला खीरी ।
3.सोनू उर्फ सोनेलाल पुत्र रामखेलावन निवासी ग्राम फरसहिया थाना पलिया जिला खीरी ।
4.अंजली पुत्री रामखेलावन निवासी ग्राम फरसहिया थाना पलिया जिला खीरी ।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

1.हत्या में प्रयुक्त एक अदद ईंट (अभियुक्तगणों की निशांदेही पर)
2.घटनास्थल से प्राप्त मृतक के एक जोड़ी जूते (अभियुक्तगणों की निशांदेही पर)
3.घटनास्थल से प्राप्त मृतक का आधार कार्ड एवं 100 रूपये (अभियुक्तगणों की निशांदेही पर)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.थानाध्यक्ष श्री पंकज त्रिपाठी थाना पलिया जनपद खीरी ।
2.व0उ0नि0 श्री रामजीत यादव थाना पलिया जनपद खीरी ।
3.उ0नि0 श्री सुरेश चन्द्र थाना पलिया जनपद खीरी ।
4.उ0नि0 श्री प्रेमनारायण सरोज थाना पलिया जनपद खीरी ।
5.हे0कां0 जितेन्द्र कुमार थाना पलिया जनपद खीरी ।
6.कां0 परीक्षित सैनी थाना पलिया जनपद खीरी ।
7.कां0 पवन वर्मा थाना पलिया जनपद खीरी ।
8.कां0 विजय तिवारी थाना पलिया जनपद खीरी ।
9.कां0 अजीत कुमार थाना पलिया जनपद खीरी ।
10.म0आ0 अनामिका थाना पलिया जनपद खीरी ।
11.म0आ0 राखी थाना पलिया जनपद खीरी ।

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1.थाना मितौली पुलिस द्वारा, अ0सं0 2133/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम में वारंटी अभियुक्त रामहेत उर्फ महतिया पुत्र बेनीलाल निवासी उमरापुर थाना मितौली जनपद खीरी व अ0सं0 33/21 धारा 323/504/506 भादवि में वारंटी अभियुक्त जगतपाल पुत्र लालाराम निवासी थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

2.थाना भीरा पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 319/25 धारा 304(2)/312(2)बीएनएस में वारंटी अभियुक्त शत्रुघ्न पुत्र नन्हूलाल निवासी बिजुआ थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 30 लीटर अवैध शराब बरामद कर 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **30 लीटर अवैध कच्ची शराब व 01 अवैध शराब भट्टी** बरामद कर **03 नफर** अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **03 अभियोग** पंजीकृत किया गया।